न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 09 / 2017

सांवरमल पुत्र जोरूराम जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी चारण की, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर–राज.

–प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल पुत्र विजयदान जाति चारण, निवासी ढाणी चारण तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
2. शंकरलाल पुत्र भगवाना जाति बलाई, निवासी ढाणी चारण तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
3. तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़
4. मोहनसिंह पुत्र गोविन्दराम
5. भंवरलाल
6. ताराचंद — पुत्रगण गोविन्दराम
7. किशोर
8. पहपी देवी
9. नानूराम पुत्र गोविन्दराम

   समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम नरसास, तहसील, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
10. प्रबंधक, शेखावाटी ग्रामीण बैंक, शाखा जाजोद, तहसील लक्ष्मणगढ़

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: आदेश :– **दिनांकः 01.05.2018**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि यह कि प्रार्थी व सहखातेदार व खाते कब्जे कृषि भूमि हक, अधिकार की खातेदारी कब्जेकात की कृषि भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 35 रकबा 2.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 36 रकबा 2.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 57 रकबा 2.04 हैक्टेयर कुल किता चार कुल रकबा 7.95 हैक्टेयर की खातेदारी की भूमि वाके ग्राम ढाणी चारण की, पटवार हल्का अलखपुरा बोगन, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर (राजस्थान)में अवस्थित है, जिसमें खसरा नम्बर 35 रकबा 2.60 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 36 रकबा 2.29 हैक्टेयर बाहमी बंटवारे में प्रार्थी का कब्जा काश्त व मकान बनाकर आवास निवास कर पम्प सेट लगा रखा है। इसलिये प्रार्थी की ओर से निवेदन किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 4 ता 9 सहखातेदार होने के कारण प्रोफारमा पक्षकार बनाया गया है व अप्रार्थी संख्या 10 के भूमि रहन होन के कारण पक्षकार बनाया गया है।

यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 के हक, अधिकार खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 34 रकबा 3.09 हैक्टैयर वाके ग्राम ढाणी चारण, पटवार हल्का अलखपुरा बोगन, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। यह कि प्रार्थी का भूमि खसरा नम्बर 35 रकबा 2.60 हैक्टेयर आने जाने का रास्ता कदमी से खसरा नम्बर 34 के दक्षिणी सींव के सहारे सहारे आकर अपने कृषि भूमि खसरा नम्बर 35 के प्रवेश करता आ रहा है। जो मौके पर रास्ता 15 फीट चौड़ा रास्ता चालू है।

यह कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 35 में आने जाने का उक्त रास्ता ही एकमात्र रास्ता है तथा अब तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 के खेत में से आते जाते है इसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी प्रार्थी अपनी भूमि फसल बोने के लिये ट्रेक्टर पशुधन ऊंट गाड़ी आदि इसी रास्ते से लेकर ग्राम ढ़ाणी चारण से आता जाता रहा है इसलिये उक्त खसरा नम्बर 34 के दक्षिणी सींव के सारे सारे 15 फीट चौंडा रास्ता खसरा नम्बर 35 तक जाने के लिये राजस्व रिकोर्ड में अंकित कर खसरा नम्बर 35 में से रास्ते में गई भूमि की कमी कर रास्ते का अलग से खसरा नम्बर अंकित किया जाना व नक्शा ट्रेस में रास्ता अंकित किया जाना प्रार्थनीय है।

यह कि प्रार्थी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से आपस में सदभावना व प्रेमभावना के कारण किसी भी प्रकार अवरोध नहीं हुआ परन्तु उसमें करीब एक माह से अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थी से नराज रहने लग गये व रास्तें से आने जाने के लिये मना करते है तथा अनावश्यक रूप से अवरूद्ध उत्पन्न करने लगे जिसमें उनका कोई अधिकार नहीं है, अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने में रोकन के लिये प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा असौ करीब एक माह से रास्ते में अवरोध पैदा करने व आने जाने से मना करने पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय हाजा को श्रावणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह कि वाद उचित न्यायशुल्क पर सादर प्रस्तुत है। यह कि अन्तर्तक वर वक्त बहस अर्ज किये जायेगा।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के हक, अधिकार व खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 35 रकबा 2.60 हैक्टेयर वाके

ढ़ाणी चारण पटवार हल्का अलखपुरा बोगन, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला —सीकर में आने जाने के लिये ग्राम ढ़ाणी चारण से जाने वाले आम रास्ता से चलकर खसरा नम्बर 34 रकबा 3.09 हैक्टेयर वाके ढ़ाणी चारण की दक्षिणी सींव के सहारे सहारे खसरा नम्बर 35 रकबा 2.60 हैक्टेयर में प्रवेश तक 15 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर रास्ता का रकबा खसरा नम्बर 34 के खाते में कम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में अंकन किये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना—पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार, लक्ष्मणगढ को रिपोर्ट बाबत लिखा गया। जिस में अप्रार्थी सं. 1 कि ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये। शेष अप्रार्थीगण पर विधिवत तामील हो चुकी है। जो कि बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी अभिभाषक कि ओर से आवेदन बाबत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र की मद सं. 3 की अंतिम पंक्ति में जो मौके पर 15 फीट सहवन से लिखा गया उसकी जगह प्रार्थी अपने खेत में आने जाने के एकमात्र पगडंडी है जिसको विस्तार किया जाकर 15 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें ताकि प्रार्थी अपने पशुधन, उंट गांड़ी, ट्रेक्टर आदि ले जा सकें। उक्तानुसार प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थना—पत्र की मद सं. 3 में 15 फीट चौड़ा रास्ता की जगह संशोधन किया जावे।

पत्रावली आज राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत—न्याय आपके द्वार 2018 केम्प— पाटोदा में पेश हुई। प्रार्थी सांवरमल स्वयं उपस्थित हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से रास्ता संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उपस्थित प्रार्थी सांवरमल ने उपस्थित होकर पत्रावली पर अंकित किया कि वह पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट के प्रकरण का निस्तारण किया जावे। जिसकी पहचान सरपंच, ग्राम पंचायत, अलखपुरा बोगन ने की। साथ ही ग्राम के मौजिज लोगों से भी उक्त प्रकरण के बारे में जानकारी ली गई। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों दस्तावेजात का अवलोकन किया। अतः प्रार्थी अभिभाषक कि ओर से प्रस्तुत आवेदन बाबत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. को विधिसम्मत व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है। तदनुसार संशोधन किया जाता है। पत्रावली में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/730 दिनांक 24.04.2018 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। वर्तमान स्थिति तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ की मौका रिपोर्ट दिनांकित 24.04.2018 के अनुसार ही प्रकट होती है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ की रिपोर्ट दिनांकित 24.04.2018 के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र औचित्यपूर्ण पाया जाता है।

—ःआदेशः—

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेश पारित किया जाता है कि—

(अ) तहसीलदार लक्ष्मणगढ की रिपोर्ट दिनांकित 24.04.2018 में दर्शित नजरी नक्शे के अनुसार ग्राम ढ़ाणी चारण पटवार हल्का अलखपुरा बोगन, तहसील लक्ष्मणगढ़ के प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 35 रकबा 2.60 हैक्टेयर में आवागमन के लिए खसरा नम्बर 34 रकबा 3.09 हैक्टेयर में से रकबा लम्बाई 104 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर माप का खसरा नम्बर 34 की पूर्व से पश्चिमी सीमा के सहारे—सहारे रास्ता कायम (संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से अंकित) किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस अनुरूप नक्शे में रास्ते का अंकन किया जाये ।

(ब) ख.नं. 34 में से रास्ते मे गई भूमि कम करते हुए नवीन रास्ते को पृथक बट्टा नम्बर नियमानुसार आवंटित किया जाये तथा किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करते हुए रास्ते को सीवाय चक खाते (रास्ते/पगडंडियां आदि) मे दर्ज किया जाये ।

(स) प्रार्थी से डी.एल.सी. दर से संबधित खातेदार (अप्रार्थी) को भुगतान करने हेतु निम्न प्रकार राशि का डीडी प्राप्त किया जाकर खातेदारान को विधिवत भुगतान किया जाये।

ख.नं.	रास्ते मे प्रयुक्त भूमि	डीएलसी दर	वसूल योंग्य राशि	खातेदारान का विवरण
34	नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित लम्बाई 104 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर	नियमानुसार	डीएलसी दर की दोगुनी	मुताबिक जमाबंदी के हिस्से अनुसार

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट से इस न्यायालय को अवगत करावें। तदनुसार पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ(सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official